

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 171/2010/जयपुर.

2. अपील संख्या – 172/2010/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
उड़नदस्ता-नवम्, राजस्थान, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

राजेन्द्र पुत्र श्री मातादीन राजपूत,  
निवासी राजनोता तहसील कोटपूतली (जयपुर).

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

**उपस्थित : :**

उप राजकीय अभिभाषक  
कोई नहीं

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 30/6/2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता-नवम्, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा गया है) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या क्रमशः 221 व 222/RVAT/एनआरडी/2008-09 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 14.7.2009 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 16.11.2008 को मुखबिर (सूचनाकर्ता) से प्राप्त करापवंचन की सूचना के आधार पर चंदवाजी पुलिया पर वाहन संख्या एच.आर.38/डी-5297 को चैक किया गया। उक्त वाहन में परचून माल परिवहनित किया जा रहा था। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित मां अम्बे कारगो मूवर्स दिल्ली के चालान संख्या 4 व 5 दिनांक 15.11.2008 एवं दिल्ली के व्यवहारियों के बिल व बिल्टियां प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार माल दिल्ली से अहमदाबाद के लिये परिवहनित किया जा रहा था। बिलों में अंकित प्रेषक व्यवहारी प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होने से सक्षम अधिकारी द्वारा करापवंचन के संदेह में वाहन को कब्जेराज लिया गया। माल/वाहन प्रभारी श्री

लगातार.....2

राजेन्द्र को माल के भौतिक सत्यापन एवं प्रेषक/प्रेषिति व्यवहारियों के सत्यापन हेतु जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा वाहन के द्वितीय ड्राईवर श्री उदयप्रताप सिंह की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन की सहमति प्रदान की गई, किन्तु प्रेषक/प्रेषिति व्यवहारियों का सत्यापन नहीं कराया गया। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा बिलों पर अंकित दिल्ली के प्रेषक व्यवहारियों का कम्प्यूटर से सत्यापन कराये जाने पर किसी भी व्यवहारी का सत्यापन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त किसी भी बिल पर ना तो प्रेषिति व्यवहारी का पता अंकित पाया गया एवं ना ही टिन नं० अंकित पाये गये।

उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर द्वारा वाहन के भौतिक सत्यापन हेतु श्री पूरणसिंह सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाहन के द्वितीय ड्राईवर श्री उदयप्रतापसिंह एवं स्वतंत्र गवाहान की समिति गठित की जाकर माल का भौतिक सत्यापन करवाया गया। भौतिक सत्यापन में अधिकांश माल बिना बिल के; बिलों में अंकित माल से भिन्न अथवा अधिक पाया गया। इसके अतिरिक्त एक कार्टन में उदयपुर का पता अंकित पर्ची पायी गयी। प्रत्यर्थी द्वारा चैकिंग दिनांक 16.11.2008 से लेकर शास्ति आदेश पारित किये जाने की दिनांक 8.12.2008 तक माल के प्रेषक/प्रेषिति व्यवहारियों से सत्यापन नहीं कराया गया, ना ही किसी व्यवहारी द्वारा विवादित माल बाबत अपना पक्ष रखा गया। ट्रांसपोर्ट कम्पनी के अहमदाबाद कार्यालय के मैनेजर श्री निरंजन गुप्ता द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष उसे पक्षकार बनाये जाने बाबत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा इस बाबत अपनी सहमति नहीं दिये जाने से सक्षम अधिकारी द्वारा श्री निरंजन गुप्ता का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करते हुए माल परिवहन में धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए परिवहनित माल की कीमत रुपये 16,51,751/- अनुमानित की जाकर निम्नानुसार शास्ति आदेश पारित किये गये -

(1) अपील संख्या 171/2010/जयपुर में प्रत्यर्थी वाहन/माल प्रभारी को डीम्ड डीलर मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(12) व (13) के तहत 4%/12.5% की दर से वेट रुपये 1,58,252/- एवं धारा 76(6) के तहत शास्ति रुपये 4,95,525/- कुल रुपये 6,53,777/- का आरोपण आदेश दिनांक 8.12.2008 से किया गया।

(2) अपील संख्या 172/2010/जयपुर में प्रत्यर्थी वाहन/माल प्रभारी को करापवंचन में सहभागी मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(9) के तहत शास्ति रुपये 4,95,525/- का आरोपण आदेश दिनांक 8.12.2008 से किया गया।




लगातार.....3

प्रत्यर्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के पृथक-पृथक पारित किये गये अपीलाधीन आदेशों दिनांक 14.7.2009 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

बावजूद सूचना प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रत्यर्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अपील निस्तारण में प्रकरण में विधिक प्रावधानों के उल्लंघन को विचारित नहीं करते हुए अपील स्वीकार की है। माल प्रभारी वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित दस्तावजों बिल, बिल्टियों में माल प्रेषिति व्यवहारियों के न तो पूर्ण पते उपलब्ध थे, न ही उनके टिन नं० ही अंकित थे। इसके अलावा परिवहनित माल के एक पैकेट में उदयपुर (राजस्थान) में माल उतारने की स्लिप भी पाई गई थी। इससे माल के राज्य में खाली होने के पुख्ता सबूत उपलब्ध होने व करापवंचन के प्रयास में माल के परिवहन करने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा विधिसम्मत रूप से शास्ति व कर आरोपित किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने मात्र इस आधार पर अपील स्वीकार की है कि माल राज्य के बाहर से राज्य के बाहर जा रहा था।

अग्रिम कथन किया कि माल वाहन को रोकने के बाद माल प्रभारी को माल प्रेषक प्रेषितियों की पहचान सिद्ध करने हेतु अवसर दिया गया, लेकिन न तो प्रेषक/प्रेषितियों के विषय में कोई प्रमाण प्रस्तुत किये न ही माल की भौतिक सत्यापन में सहयोग प्रदान किया। इसलिए प्रकरण में पारदर्शिता व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार एक कमेटी गठित कर दो गवाहों तथा सहायक वाहन चालक की उपस्थिति में माल के भौतिक सत्यापन के उपरान्त बिल बिल्टियों में घोषित से अधिक माल पाये जाने तथा दस्तावेजों में घोषित से भिन्न माल पाये जाने की स्थिति में अधिनियम की धारा 76(2) के उल्लंघन के कारण वाहन चालक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया, लेकिन वाहन चालक के बजाय ट्रांसपोर्ट कम्पनी के अहमदाबाद के मैनेजर द्वारा जवाब पेश किया गया। इस जवाब में भी विवादित माल के प्रेषक/प्रेषितियों के विषय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की गई। माल प्रभारी द्वारा प्रेषितियों की पहचान सिद्ध नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 76(12) व (13) के तहत डीम्ड डीलर मानकर कर भी विधि अनुसार आरोपित किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपील स्वीकार कर विधिक भूल की है। अतः अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।




लगातार.....4

यह भी कथन किया कि अपील संख्या 172/2010 में माल प्रभारी द्वारा करापवंचन में दूर्भिसंधि करने के कारण अधिनियम की धारा 76(9) के तहत शास्ति विधिसम्मत रूप से आरोपित की गई थी, जिसे अपास्त कर विधिक भूल की है। अतः यह अपील भी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा सक्षम अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। सक्षम अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यानुसार प्रश्नगत वाहन को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान चैककर संदेहास्पद होने के कारण माल का भौतिक सत्यापन कराने पर कुछ माल घोषित के अलावा पाया गया तथा कुछ माल घोषित से भिन्न पाया गया। इसके अलावा एक कार्टन में माल के उदयपुर उतरने के प्रमाणस्वरूप कच्ची स्लिप पाई गई। सक्षम अधिकारी ने पाया कि TINXYS पर प्रेषक व्यवहारियों की जांच करने पर उनका सत्यापन नहीं हुआ तथा माल के प्रेषितियों के सदभाविक होने के प्रमाणस्वरूप न तो उनके पूर्ण पते पाये गये न ही पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या अंकित पाई गई थी। इसलिए सक्षम अधिकारी ने माल व दस्तावेजों के सत्यापन हेतु समय देते हुए वाहन को अधिनियम की धारा 76(5)(ए) के तहत निरुद्ध किया तथा सुनवाई तिथि दिनांक 23.11.2008 नियत की। माल प्रभारी के उपस्थित नहीं होने पर पुनः नोटिस सुनवाई तिथि 30.11.2008, 5.12.2008 रखी गई। सक्षम अधिकारी के समक्ष ट्रांसपोर्ट कम्पनी अहमदाबाद के मैनेजर ने दिनांक 1.12.2008 को नोटिस का जवाब तथा स्वयं को पार्टी बनाने हेतु आवेदन किया। जवाब के साथ दस्तावेजों के सदभावी होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। ट्रांसपोर्ट कम्पनी अहमदाबाद के मैनेजर द्वारा प्रस्तुत धारा 76(7) के आवेदन को सक्षम अधिकारी ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इसमें माल प्रभारी की सहमति नहीं थी। जवाब को विचारित करते हुए शास्ति/कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 76(6), (12) व (13) पारित किया तथा करापवंचन में सहयोग के लिये धारा 76(9) के तहत अलग-अलग आदेश पारित किये। वेट अधिनियम की धारा 76 के अनुसार परिवहनित माल के दस्तावेजों में वर्णित प्रेषक/प्रेषिति का सत्यापन कराये जाने का दायित्व माल प्रभारी का है, क्योंकि प्रस्तुत बिल, बिल्टियों पर प्रेषक/प्रेषिति के पूर्ण पते व पंजीयन संख्या अंकित नहीं थे। इसलिए दस्तावेज फर्जी नामों से बनाये गये थे। प्रकरण में जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रेषक/प्रेषिति ने अपना हित निहित होने का दावा भी प्रस्तुत नहीं किया है।

वेट अधिनियम की धारा 76 उद्धरित करना समीचीन होगा -



लगातार.....5

**76. Establishment of check-post or barrier and inspection of goods while in movement. –**

- (2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall—
- (a) stop the vehicle or carrier at every check post or barrier, and while entering and leaving the limits of the State bring and stop the vehicle at the nearest check post or barrier, set-up under sub-section (1);
  - (b) carry with him a goods vehicle record including “challans” and “bilties”, invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;
  - (c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check-post or barrier;
  - (d) furnish all the information in his possession relating to the goods; and
  - (e) allow the inspection of the goods by the Incharge of the check-post or barrier or any other person authorised by such Incharge.

**Explanation.**—For the purpose of this Chapter 'goods in movement' shall mean –

- (i) the goods which are in the possession or control of a transporting agency or person or other such bailee;
  - (ii) the goods which are being carried in a vehicle or carrier belonging to the owner of such goods; and
  - (iii) the goods which are being carried by a person.
- (3) The State Government may require by notification that the documents required to be furnished under sub-section (2), shall be furnished by means of such electronic devices, and be accompanied by such processing fee, as may be prescribed.
- (4) Where any goods are in movement within the territory of the State of Rajasthan, the assessing authority or an officer authorized by the Commissioner in this behalf may stop the vehicle or the carrier or the person carrying such goods, for inspection, at any place within his jurisdiction and the provisions of sub-section (2) shall mutatis mutandis apply.
- (5) Where any goods in movement, other than exempted goods, are without documents, or are not supported by documents as referred to in sub-section (2), or documents produced appears to be false or forged, the Incharge of the check-post or barrier or the officer authorized under sub-section (4), may—



- (a) direct the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of the vehicle or carrier or of the goods not to part with the goods in any manner including by re-transporting or re-booking, till a verification is done or an enquiry is made, which shall not take more than seven days;
  - (b) seize the goods for reasons to be recorded in writing and shall give a receipt of the goods to the person from whose possession or control they are seized;
  - (c) release the goods seized under clause (b) to the owner of the goods or to a person duly authorised by such owner, during the course of the proceeding, if adequate security of the amount equal to the estimated value of the goods is furnished.
- (6) The Incharge of the check-post or barrier or the officer authorized under sub-section (4), after having given the owner of the goods or person duly authorised in writing by such owner or person Incharge of the goods, a reasonable opportunity of being heard and after having held such enquiry as he may deem fit, shall impose on him for possession or movement of goods, whether seized or not, in violation of the provisions of clause (b) of sub-section (2) or for submission of false or forged documents or declaration, a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.
- (7) During the pendency of the proceeding under sub-section (6), if any person appears before the Incharge of the check-post or barrier or the officer authorized under sub-section (4) and prays for being impleaded as a party to the case on the ground of involvement of his interest therein, the said Incharge or the officer on being satisfied may permit him to be impleaded as a party to the case; and thereafter, all the provisions of this section shall mutatis mutandis apply to him.
- (8) The Incharge of the check-post or barrier or the officer authorized under sub-section (4) may release the goods to the owner of the goods or to a person duly authorised by such owner, if seized and not already released under clause (b) of sub-section (5), on payment of the penalty imposed under sub-section (6) or on furnishing such security for the payment thereof, as such Incharge or officer may consider necessary.
- (9) Where the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of the vehicle or the carrier is found guilty for violation of the provisions of sub-section (2), the Incharge of the check-post or barrier or the officer authorized under sub-section (4) may detain such vehicle or carrier and after affording an opportunity of being heard to such owner, driver or person, may impose a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

- (10) The Incharge of the check-post or barrier or the officer authorized" under sub-section (4) may release the vehicle or the carrier on the payment of the amount of penalty imposed under sub-section (9) or on furnishing such security as may be directed by such Incharge or officer.
- (11) Notwithstanding anything contained in this section, where the driver or the person Incharge of the vehicle or the carrier abstains from bringing or stopping the vehicle or carrier at the nearest check-post as provided under clause (a) of subsection (2), the Incharge of the check-post or the officer authorized under sub-section (4) may detain such vehicle or carrier and, after affording an opportunity of being heard to the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of the vehicle or carrier, may impose a penalty equal to fifty percent of the value of such goods.
- (12) If a transporter fails to give information as required from him under clause (d) of sub-section (2) about the consignor, consignee or the goods within such time as may be specified or transports the goods with false or forged documents, besides imposing the penalty under sub-section (6), it shall be presumed that the goods so transported have been sold in the State of Rajasthan by him and he shall be deemed to be a dealer for those goods under this Act.
- (13) The provisions of this Act shall, for the purpose of levy, collection and assessment of tax, determination of interest, payment and recovery of tax and interest, appeal, review or revision, apply to the transporter deemed to be a dealer under sub-section (12).

अपीलीय अधिकारी ने अपील स्वीकार किये जाने का आधार अंकित किया है कि -

".....वक्त अपील सुनवाई प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि माल का गमनागमन दिल्ली से गुजरात के लिये किया जा रहा था, अतः राज्य के अधिकारियों का उस पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। इसके अतिरिक्त अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपने कथन के समर्थन में मैसर्स सोढी ट्रांसपोर्ट, मैसर्स चावला हाई कैरियर्स, (2001) 10 एसटीटी 219 (आरएचसी, जयपुर), राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम् मैसर्स ग्लोब ट्रांसपोर्ट कापोरेशन, (2003) 2 आरटीआर 84 (आरटीबी), मैसर्स न्यू सिडीकेट रोड लाईन्स बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता-द्वितीय, जयपुर, (2003) 2 आरटीआर 87 (आरटीबी), वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन बनाम् मैसर्स अशोका ऑयल इण्डस्ट्रीज, निवाई, (2002) 1 आरटीआर 358 एवं मैसर्स राजस्थान


लगातार.....8

एल्यूमिनियम हाउस प्रा.लि., दिल्ली बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता-चतुर्थ, राजस्थान, जयपुर के जो दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं उन में यही अभिनिर्धारित किया गया है यदि माल का परिवहन राज्य के बाहर से अन्य राज्य को राजस्थान राज्य के बाहर के लिए परिवहनित किया जा रहा हो व माल को राजस्थान राज्य में कहीं उतारा अथवा बेचा नहीं गया हो, साथ ही राजस्थान राज्य के बाहर माल का गंतव्य पर पहुंचने के प्रमाण प्रस्तुत कर दिये गये हैं तो ऐसी स्थिति में केवल अनुमान व संदेह के आधार पर कर व शास्ति का आरोपण किया जाना पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है। माननीय न्यायालयों के दृष्टांतों का सम्मान करते हुए, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में माल राजस्थान राज्य के बाहर दिल्ली से राजस्थान राज्य के बाहर गंतव्य स्थान पर पहुंचने के प्रमाण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कर दिये हैं, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व शास्ति अविधिक एवं अनुचित होने के कारण अपास्त की जाती है।”

अपीलीय अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में दस्तावेजों से सम्बन्धित चालान संख्या 4 व 5 दिनांक 15.11.2008 की छाया प्रति के अलावा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिनसे यह प्रमाणित हो कि माल के प्रेषितियों को माल सुपुर्द कर दिया गया है या माल राज्य से बाहर चला गया हो। वाहन चालक व मैनेजर के शपथपत्रों में वाहन चालक के दिनांक 1.12.2008 को उपस्थित नहीं होना बताया गया है तथा सक्षम अधिकारी का आदेश एकतरफा होना बताया गया है।

अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय में उद्धरित निर्णयों का अध्ययन किया गया। (2002) 1 आर.टी.आर. 358 के तथ्यानुसार दिल्ली से गुजरात परिवहनित माल के साथ प्रेषिति व्यवहारियों को गुजरात के फॉर्म-45 घोषणा-पत्र संलग्न पाये गये थे, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में गुजरात के कथित क्रेता व्यवहारियों के पते व TIN का अभाव पाया गया है तथा एक कार्टन में उदयपुर के व्यवहारी की पर्ची भी पाई गई है।

अन्य उद्धरित निर्णय (2003) 2 आर.टी.आर. 84 मैसर्स न्यू सिन्डीकेट रोडलाईन्स बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी में तथ्यानुसार दिल्ली के विक्रेताओं के विषय में कंप्यूटर फ्लॉपी से सत्यापन किया गया था। इस सत्यापन के आधार पर दस्तावेजों को फर्जी नहीं माना जा सकता था, इसलिए शास्ति को अपास्त किया गया था। समन्वयपीठ का यह निर्णय (2001) 10 एस.टी.टी. 218 पर आधारित था। प्रस्तुत प्रकरण में क्रेताओं की पहचान माल प्रभारी द्वारा नहीं कराई गई तथा उनके पंजीयन सम्बन्धी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये थे।


 लगातार.....9



वेट अधिनियम की धारा 76(5) अनुसार राज्य के बाहर से बाहर के वाहनों का क्षेत्राधिकार सक्षम अधिकारियों द्वारा ग्रहण करते हुए वाहन/माल को चैक किया जा सकता है। माल के राजस्थान में उतारे जाने की परिस्थितियों के मौजूद रहते करापवंचन की मंशा से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण में माल के कार्टन में उदयपुर की पर्ची मिलना प्रेषितियों के पते व पंजीयन प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होना तथा माल प्रभारी द्वारा उनका सत्यापन नहीं कराया जाना स्पष्ट इंगित करता है कि माल राजस्थान में ही अनलोड करने हेतु परिवहनित किया जा रहा था। अपीलीय आदेश में माननीय न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों के उपलब्ध रहते लागू नहीं किये जा सकते। अतः करापवंचन की मंशा से राज्य में फर्जी दस्तावेजों से परिवहनित माल पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण की पुष्टि की जाती है। चूंकि माल प्रभारी प्रत्यर्थी द्वारा माल क्रेताओं की पहचान के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, इसलिए माल प्रभारी को डीम्ड डीलर मानकर धारा 76(12) व (13) के तहत आरोपित कर की भी पुष्टि की जाकर अपील संख्या 171/2010/जयपुर स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है।

जहां तक माल प्रभारी द्वारा करापवंचन में दुर्भिसंधि (Collusion) किये जाने सम्बन्धी अपील संख्या 172/2010 का प्रश्न है, धारा 76(9) के अन्तर्गत शास्ति भी माल प्रभारी पर ही आरोपित की गई है। जब माल प्रभारी को ही डीलर मानकर करारोपण कर दिया गया है, तो करापवंचन के Collusion का प्रश्न समाप्त हो जाता है। कोई व्यवहारी स्वयं के साथ दुर्भिसंधि नहीं कर सकता। अतः धारा 76(9) के तहत आरोपित शास्ति विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपास्तीकरण आदेश की पुष्टि की जाती है। अतः अपील संख्या 172/2010/जयपुर अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( जे. आर. लोहिया )  
सदस्य  
30/6/14